



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122022-241532
CG-DL-E-31122022-241532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5871]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2022/पौष 8, 1944

No. 5871]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2022/PAUSHA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6114(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4965(E) दिनांक 20.10.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के जामनगर जिले में NH151A के कि.मी. 0 से कि.मी.242.9 (द्वारका- खंभाळीया-देवरीया & ध्रोल- आमरण- माळीया) रोड सेक्शन तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "05.11.2022" को "दिव्यभास्कर" और "द इन्डियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के जामनगर जिले में NH-151A के कि.मी. 0 से कि.मी.242.9 (द्वारका- खंभाळीया-देवरीया & धोल-आमरण- माळीया) रोड सेक्शन के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: जामनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: धोल				
	गांव का नाम: धोल				
1	430/P3	निजी	कृषि	0.0887	गोविंद कानजी ()
2	434/P1	निजी	कृषि	0.0485	दलसाणीया चेतनकुमार बेचरभाइ ()
3	438/1/P1	निजी	कृषि	0.0417	पटेल शान्ताबेन चकुभाइ ()
	तालुक का नाम: जोडिया				
	गांव का नाम: केशिया				
1	1600/1	निजी	कृषि	0.1845	भंडेरी वजीबेन लखमणभाइ वि ()
2	1600/2	निजी	कृषि	0.0273	भंडेरी वजीबेन लखमणभाइ वि ()
3	325	निजी	कृषि	0.0148	मनसुख आंबा गोदवाणी ()
4	356	निजी	कृषि	0.0013	लीलाबेन वेलजीभाइ गोदवाणी वि ()
5	357	निजी	कृषि	0.0117	नंदुबेन कुवरजीभाइ गोदवाणी वि ()
6	358	निजी	कृषि	0.0232	मनसुख वालजी ()
7	359	निजी	कृषि	0.0207	भीखालाल वालजी वि ()

8	712	निजी	कृषि	0.2293	नंदलालभाइ जिवराजभाइ गोदवाणी ()
गांव का नाम: लखतर					
9	254/1	निजी	कृषि	0.1191	कुंवरजी मोहन ()
10	352	निजी	कृषि	0.1681	किशोर अमरसी ()
गांव का नाम: मधपार					
11	160	निजी	कृषि	0.2483	विनोदराय आत्माराम वि ()
12	161	निजी	कृषि	0.2628	गौतमदास आत्माराम अग्रावत वि ()
13	173	निजी	कृषि	0.1725	विरुबेन भीमजीभाइ परमार वि ()
14	174	निजी	कृषि	0.0408	चंद्रेशभाइ हिरजीभाइ परमार ()
गांव का नाम: तराना					
15	210	निजी	कृषि	0.0086	नंदुभा निमुभा जाडेजा वि ()
16	214	निजी	कृषि	0.0022	जनकबा उमेदसंग जाडेजा ()
17	580	निजी	कृषि	0.2235	नाथीबेन रामा ()
			कुल	1.9376	

[फा. सं. 11011/NHAI/Gujarat/Rajkot/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2022

S.O. 6114(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O no. 4965(E) dated 20.10.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH151A on the stretch of land from Km. 0 to Km. 242.9 (Dwarka-Khambhaliya-Devariya & Dhrol-Amran-Maliya) road section in the district of JAMNAGAR in the state of GUJARAT;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Divyabhaskar” and “The Indian Express” both dated 05.11.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-151A in the stretch of land from (Dwarka-Khambhaliya-Devariya & Dhrol-Amran-Maliya) road section in the district of JAMNAGAR in the state of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: JAMNAGAR			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dhrol				
	Village: Dhrol				
1	430/P3	Private	Agriculture	0.0887	Govind Kanji
2	434/P1	Private	Agriculture	0.0485	Dalsaniya chetankumar becharbhai
3	438/1/P1	Private	Agriculture	0.0417	Patel shantaben chakubhai
	Taluk: Jodiya				
	Village: Keshiya				
1	1600/1	Private	Agriculture	0.1845	Bhanderi Vajiben Lakhmanbhai Etc
2	1600/2	Private	Agriculture	0.0273	Bhanderi Vajiben Lakhmanbhai Etc
3	325	Private	Agriculture	0.0148	Mansukh Amba Godvani
4	356	Private	Agriculture	0.0013	Lilaben Veljibhai Godvani Etc
5	357	Private	Agriculture	0.0117	Nanduben Kuvarjibhai Godvani Etc
6	358	Private	Agriculture	0.0232	Mansukh Valji
7	359	Private	Agriculture	0.0207	Bhikhalal Valji Etc
8	712	Private	Agriculture	0.2293	Nandlalbhai Jivrajbhai Godvani
	Village: Lakhtar				
9	254/1	Private	Agriculture	0.1191	Kuvarji Mohan
10	352	Private	Agriculture	0.1681	Kishor Amarshi
	Village: Madhapar				
11	160	Private	Agriculture	0.2483	Vinodray Atmaram Etc
12	161	Private	Agriculture	0.2628	Gautamdas Atmaram Agravat Etc
13	173	Private	Agriculture	0.1725	viruben Bhimjibhai parmar etc
14	174	Private	Agriculture	0.0408	Chandreshbhai Hirjibhai Parmar
	Village: Tarana				

15	210	Private	Agriculture	0.0086	Nanduba Nimubha Jadeja Etc
16	214	Private	Agriculture	0.0022	Janakba Umedsang Jadeja
17	580	Private	Agriculture	0.2235	Nathiben Rama
			TOTAL	1.9376	

[F. No. 11011/NHAI/Gujarat/Rajkot/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director